संख्या- 01 /2026 / 3640 /चार-2025-1760669

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी, 2026**

विषय:- जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवॉल, गेट आदि विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3584/सं0नि0-6(37)/2023-24 दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 15 /2024 / 7521/चार-2023 दिनांक 04 जनवरी, 2024 द्वारा जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवॉल, गेट आदि विकास कार्य कराये जाने हेतु रू0 202.65 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 155.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 2,00,89,562.00 है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवॉल, गेट आदि विकास कार्य कराये जाने हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत 2,00,89,562.00 में से पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 155.00 लाख को घटाते हुए तथा 05 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए, अवशेष धनराशि **रू0 35,84,562.00 (रूपये पैंतीस लाख चौरासी हजार पांच सौ बासठ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 15/2024/7521/चार-2023 दिनांक 04 जनवरी, 2024, शासनादेश संख्या- 403 /2024/3637 /चार-2024-1760669 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 127/2025/ 707 /चार-2025 दिनांक 26 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 35,84,562.00 (रूपये पैंतीस लाख चौरासी हजार पांच सौ बासठ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048004100 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-4, आगरा।
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।